न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 143/2016
निर्णय दिनांक :22.03.2019

1. धनपत लाल पुत्र स्व कजोडमल जाति कुमावत निवासी सिरोहियों की तलाई ढाणी कुमावतान ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. धनश्याम पुत्र स्व0 कजोडमल
2. सीताराम पुत्र स्व0 कजोडमल.
3. सेवाराम पुत्र स्व0 कजोडमल
4. प्रभूनारायण पुत्र स्व0 कजोडमल
5. मीना कुमारी पुत्री स्व0 कजोडमल

जाति कुमावत, निवासी सिरोहियों की तलाई, ढाणी कुमावतान, ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
7. उप–पंजीयक सांगानेर प्रथम सांगानेर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सांगानेर पटवार सांगानेर भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 91 में आराजी कृषि भूमि खसरा नं. 1835 रकबा 0.63 हैक्टेयर खसरा नं. 1842/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5196/1679 रकबा 0.08 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर स्थित है जिसमे वादी का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 6/8 बराबर–बराबर व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर मनबट के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 काबिज काश्त है। जिसे इस वाद पत्र में नीचे वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बोधित किया गया है। यह कि दिनांक 25.10.2016 को मनबट के आधार पर वादी के हक व हिस्से में आई भूमि उक्त खसरा नम्बरान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा पुख्ता निर्माण करने के लिए काफी संख्या में निर्माण सामग्री इकट्ठा कर नींवें खोदना शुरू कर दी जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को बिना विधिक बंटवारा करवाये खसरा नम्बरान 1835, 1842/1 व 5196/1679 में किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादी को एलानिया धमकी दी कि वे बिना विधिक बंटवारा

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

करवाये वादग्रस्त भूमि में पुख्ता निर्माण कर अलग–अलग खण्डों में बेचान करेंगे। यह कि वादी ने प्रतिवादी 1 लगायत 5 को बिना विधिक बंटवारा पुख्ता निर्माण करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादी को धमकी दी कि वह बिना विधिक बंटवारा करवाये ही पुख्ता निर्माण कर अलग–अलग खण्डों में बेचान करेंगे, इस कारण वादी को वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। यह कि वादी अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान 1835, 1842/1 व 5196/1679 का विधिक बंटवारा करवाकर स्वयं के हिस्से का अलग से खाता कायम करवा ले तथा उसी अनुसार लगान निर्धारित करवाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि जब तक वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति या संस्था के हित में किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे, वादी के हक व हिस्से में आई भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही प्रतिवादी संख्या 6 मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रतिवादी संख्या 7 उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात पंजीकृत नहीं करें। यह कि वाद हेतुक दिनांक 25.10.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा बिना विधिक तकासमा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने एवं अलग–अलग खण्डों में बेचान की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.11.2016 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री शंकरलाल कुमावत, प्रतिवादी 5 की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण चौथरी एडवोकेट पेश हुये तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नोटिस वाद तामिल शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 08.03.2017 को जवाब दावा मय प्रारम्भिक आपत्ति का पेश की। 5 की ओर से जवाब पेश नही करने पर जवाब दावे का अवसर बन्द किया जाता है। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से पेश प्रारम्भिक आपत्तियों का जवाब पेश नही किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण विचाराधीन वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाने पर सहमत होने पर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2018 को किया जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में मौके पर बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 06.07.2018 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2018/6330 दिनांक 31/12/2018 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे के भिजवायी गयी जो शामिल मिसल की गयी। बहस कुर्रेजात वकील उभयपक्ष सुनी गयी, कुर्रेजात के मुताबिक डिक्री करने पर सहमत है। वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खाता सख्या 91 के खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नं. 1842/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5196/1679 रकबा 0.08 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर में वाके ग्राम सांगानेर पटवार सांगानेर भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1. 2.	5196/1679 मि0 1835 मि0	0.01 है0 0.1138 है0	धनपत पि0 कजोडमल कुमावत सा0 देह खाते0
योग	2	0.1238 है0	

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1. 2.	5196/1679 1835 1842/1	0.07 है0 0.5162 है0 0.28 है0	घनश्याम, सीताराम, सेवाराम, प्रभूनारायण पि0 कजोड़मल हिस्सा 6/7, मीना कुमावत पत्री कजोड़मल हिस्सा 1/7 कौम कुमावत सा0 देह खातेदार
योग	3	0.8662	

उपरोक्त, विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी,** जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास **श्री घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.**

वाद संख्या : 143/2016

1. धनपत लाल पुत्र स्व कजोडमल जाति कुमावत निवासी सिरोहियों की तलाई ढाणी कुमावतान ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र स्व0 कजोडमल
2. सीताराम पुत्र स्व0 कजोडमल
3. सेवाराम पुत्र स्व0 कजोडमल
4. प्रभूनारायण पुत्र स्व0 कजोडमल
5. मीना कुमारी पुत्री स्व0 कजोडमल

जाति कुमावत, निवासी सिरोहियों की तलाई, ढाणी कुमावतान, ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
7. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम सांगानेर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है । वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खाता सख्या 91 के खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नं. 1842/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5196/1679 रकबा 0.08 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर में वाके ग्राम सांगानेर पटवार सांगानेर भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1. 2.	5196/1679 मि0 1835 मि0	0.01 है0 0.1138 है0	धनपत पि0 कजोडमल कुमावत सा0 देह खाते0
योग	2	0.1238 है0	

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1. 2.	5196/1679 1835 1842/1	0.07 है0 0.5162 है0 0.28 है0	घनश्याम, सीताराम, सेवाराम, प्रभूनारायण पि0 कजोड़मल हिस्सा 6/7, मीना कुमावत पत्री कजोड़मल हिस्सा 1/7 कौम कुमावत सा0 देह खातेदार
योग	3	0.8662	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरुप अन्तिम डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.03.2019 को जारी की गई।

दस्तखत ...उप–खण्ड अधि.........
जयपुर (द्वितीय)

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो यां नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner